

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 1(14)त.शि. / 2009

जयपुर, दिनांक : 15 जनवरी, 2013

निदेशक,  
तकनीकी शिक्षा,  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,  
रेजीडेन्सी रोड,  
जोधपुर।

निदेशक, (प्रशिक्षण)  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,  
रेजीडेन्सी रोड,  
जोधपुर।

विषय :- वित्त विभाग से प्राप्त पत्रों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार वित्त/कर/नियम/लेखा/आय-व्ययक विभाग से प्राप्त निम्न विवरणानुसार पत्रों की फोटोप्रतियां संलग्न कर भिजवायी जा रही हैं, कृपया उक्त पत्रों में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. F.12(169)FD/Tax/09 Pt. dated 27.11.2012
2. प.स. 1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 21.12.2012
3. प.स. 6(1)वित्त/साविलेनि/2012 दिनांक 4.12.2012
4. प.स. 1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 26.11.2012
5. प.स. 4(80)वित्त-1/(1)आय-व्ययक/2012 दिनांक 2.1.2013

संलग्न : उपरोक्तानुसार

A/c

28/1/2013

भवदीय,

( आर.क.गुप्ता )  
संयुक्त सचिव, त.शि.

887  
30-1-13

शासन सचिवालय प्रमुख शासन सचिव	23/11/12
प्रम एवं नियोजन विभाग	
शासन सचिवालय, जयपुर	
VIP पत्रांक नं.	
दिनांक	

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

विषय : राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु आपके अधीनस्थ विभागों के नोडल अधिकारी की सूचना भिजवाने हेतु।

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग

प्रति : 9755  
दिनांक : 26/11/12

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 को राज्य में शीघ्र ही लागू किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया गया है। उक्त पोर्टल पर संबंधित कार्यालय से संबंधित सूचना को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पोर्टल पर प्रकाशित कराया जाना है। इस हेतु उक्त पोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड कराने हेतु आपके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों एवं संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कराया जाना है। अतः अनुरोध है इस हेतु संलग्न प्रपत्र संख्या SPPP/02 में भरकर caospfc@gmail.com पर ई-मेल कराते हुए इसकी प्रति नोडल अधिकारी संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) को शीघ्र भिजवाये जाने हेतु आपके स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(अखिल अरोरा)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : प्रपत्र प्रारूप।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव  
समस्त प्रमुख शासन सचिव  
समस्त शासन सचिव

अशा टी. संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011  
जयपुर, दिनांक : 26.11.12